रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 1982/ज्येष्ठ 19, 1904
No. 109] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 1982/ JYAISTHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० : 29 आई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 9 जून, 1982

### आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1982-83 के लिए कच्चे काजू के सबन्ध मे आयात एवं वितरण नीति।

मि० सं० आई० टी० सी०/25/7/82-83 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई टी सी (पीएन)/82, दिनाक 5 अप्रैल, 1982 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1982—मार्च, 1983 के लिए आयात एवं निर्यात नीति (जिल्द-1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. 1982-83 के लिए आयात नीति के अनुसार दिए गए प्रावधानों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक), निर्यात सदनों/व्यापार सदनों और भारतीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू आयात किए जा सकते है।

3. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को भारतीय काजू निगम के माध्यम से वितरण के लिए किसी भी आयातक द्वारा दिए गए आयातित कच्चे काजू की मात्रा जो 50% से कम न हो उसके वितरण की कियाविधि इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका-4 से 13 में दिए गए के अनुसार होगी।

4. पात्र आयातक आयात खरीददारी तय करने से सात दिनों के भीतर भारतीय काजू निगम, कोचीन को निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आयातक द्वारा तय की गई खरीददारी का विवरण दर्शाते हुए चाहे अभी औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करने बाकी हो, लिखित रूप में सूचित करेगा। आयात खरीददारी तय किए जाने के 15 दिनों के भीतर काजू निगम द्वारा पंजीकरण के लिए फोटोस्टेट प्रति के साथ मूल संविदा द्वारा उपर्युक्त सूचना पूर्ण की जाएगी। आयातक निगम को पूंजीकरण के खर्चे डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजेगा जिसकी गणना आयात खरीददारी की सूचना के साथ-साथ खरीददारी के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के 1/2% होगी।

5. उपर्युक्त कंडिका 4 में दी गई सूचना पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को नीचे की कंडिका 7 मे दर्शाए गए मूल्य पर और बिक्री की अन्य शर्तों के साथ-साथ वितरण के लिए निगम को प्रस्तुत की गई कच्चे काजू की मात्रा को साफ-साफ दर्शाया जाएगा जो कि किसी भी मामले में प्रस्तावित आयातित मात्रा की 50% से कम न हो।

6. आयातक द्वारा पास की गई मात्रा को दर्शाने वाला प्राधिकारपत्र और प्रत्येक को दी गई कच्चे काजू की मात्रा के साथ-साथ पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं के नाम के साथ आयातक से प्राप्त होने की तिथि के सात दिनों के भीतर निगम संविदा पंजीकृत करेगा। इस प्रकार के प्राधिकारपत्र के बल पर ही सीमाशुल्क प्राधिकारी माल की निकासी अनुमेय करेंगे।

7. भारतीय काजू निगम आयातक से सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पात्र वास्तविक उपभोक्ताओं को मात्रा प्रस्तुत करेगा। पात्र वास्तविक उपयोक्ता वे हैं, जिन्होंने काजू के आयात और निर्यात व्यापार में भाग लिया था और किसी पंजीयन वर्ष 1968, 1969 और 1970 (31-8-1970 तक) में काजू संसाधन के लिए कारखाने चलाए थे। वास्तविक उपयोक्ता आयातित कच्चे काजू के आवंटन के लिए पात्रता से

तब वंचित होगा यदि वह लगातार एक वर्ष की अवधि में निर्यात व्यापार में नहीं लगा था ।

8. निगम पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके पात्र कारखानों के मामले में मात्रा आबंटित करेगा । पात्रता और प्रभात्रा निम्नलिखित कसौटी द्वारा ही निर्धारित की जाएगी :—

(1) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा यांपित उन कारखानों के मामले में निगम के साथ भेजे गए प्रपत्र में हों और/या उनके द्वारा स्वीकार किए गए हों, सारणीबद्ध की तिथि के पश्चात् आबंटन किया गया हो ।

(2) कोई भी कारखाना जो कर्मचारियों की सुरक्षा, सेवा शर्तों या वेतन का स्थायीकरण और भुगतान से संबंधी विधि-प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो वह निगम द्वारा कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक कारखाने के मामले में आबंटन कारखाने में बनाई गई दैनिक हाजरी रजिस्टर से सुनिश्चित की गई और निगम द्वारा सत्यापित की गई श्रमिकों की संख्या के आधार पर निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) कारखानों से प्रस्तुत किए गए आंकड़े और निगम द्वारा सत्यापन के आधार पर यदि श्रमिकों की संख्या कम पाई जाती है तो प्रारंभिक आबंटन को पुनः निर्धारित करने का अधिकार निगम को होगा । उन कारखानों के मामले में जिनका दैनिक हाजरी रजिस्टर फैक्टरी के निरीक्षण के दौरान सत्यापित न हो सका था या जहां पर निगम ने किसी कारखाने की हकदारी की पुनरीक्षा करना आवश्यक समझा हो तो वहां पर निगम निर्धारित श्रमिकों की कुल संख्या के आधार पर आबंटन कर सकता है जो कि इस मद के आयात को सारणीबद्ध के समय प्रपत्र में अंकित न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर की गई हो अथवा 1971 में समर्थक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत की गई आंकड़े शीट के आधार पर ।

9. पात्र वास्तविक उपयोक्ता निगम द्वारा आबंटित की गई तिथि से सात दिनों के भीतर प्रदान की गई मात्रा के लिए अपनी स्वीकृति या अन्यथा रूप से निगम को सूचित करेंगे । स्वीकृति पत्र एक ऐसे वचन पत्र के साथ समर्थित होना चाहिए कि व आंतरिक मांग-पत्र 7 दिनों के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो सम्बन्धित आयातक द्वारा विशिष्टिकृत किया गया हो, खोलेंगे । वह कीमत जिस पर आयातित कच्चा काजू (वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण करने के लिए) निगम के माध्यम से पात्र वास्तविक उपयोक्ता को आयातक देगा वह ऐसी कीमतें होंगी जो आयातक द्वारा ठेका किए गए के अनुसार लागत-बीमा भाड़ा मूल्य में 1% जो कर उससे अधिक नहीं।

10. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निगम पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा ऐसी स्वीकृति के ब्यौरों के बारे में आयातकों को सूचित करेगा ।

11. यदि पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा उनको दी गई मात्रा से कम है, तो स्वीकृति की वह कमी आयात में आयातक के भाग के खाते में उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राधिकार पत्र में सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन के लिए भारतीय काजू निगम द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाएगा ।

12. भारतीय काजू निगम की वह जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी जिससे कि वे पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा स्वीकृति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए आयातक से पत्राचार करते थे । सभी वितरीय मामलों पर विचार आयातक और पात्र वास्तविक उपयोक्ता के मध्य में होगा ।

13. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं ले लिए स्वीकृत की गई मात्रा की सुपुर्दगी में आयातक की ओर से किसी भी प्रकार की असफलता होने पर पात्र वास्तविक उपयोक्ता भारतीय काजू निगम को सूचित करेंगे जिसे वे बाद में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को ऐसी कार्रवाई करने के लिए ध्यान में लाएंगे जिसे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात उपयुक्त समझे ।

14. भारतीय काजू निगम द्वारा अपने स्वयं के खाते पर आयात किए गए कच्चे काजू के सम्बन्ध में पात्र वास्तविक उपयोक्ता को उनके द्वारा आयातित 50% से अधिक मात्रा के वितरण के लिए क्रियाविधि उपर्युक्त पैरा 7 से 11 तक में उल्लिखित अनुसार होगी जो इस शर्त के अधीन होगी कि भारतीय काजू निगम पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को उस मात्रा कि लिखित रूप में सूचना देगा जो उनके द्वारा आयात की खरीद तय किए जाने के 7 दिनों के भीतर पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को दी जा रही है । सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे प्राधिकार पत्र के आधार पर माल की निकासी की अनुमति प्रदान करेंगे ।

15. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण करने के लिए आयातित कच्चे काजू की 50% से अधिक मात्रा देने के बाद, भारतीय काजू निगम और निर्यात सदन/व्यापार सदन किसी भी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को बाकी बची हुई मात्रा को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे । वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा किए गए आयातों के मामले में, पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण के लिए भारतीय काजू निगम को 50% से अधिक मात्रा प्रदान करने के बाद, जो मात्रा बाकी रह जाएगी उसे उनके द्वारा अप्रेल 1982—मार्च 1983 के लिए आयात-निर्यात नीति के (वा० 1) की कंडिका 5(1), (2) और (3) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत उपयोग में लाई जाएगी ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 29-ITC(PN)/82

New Delhi, the 9th June, 1982

IMPORT TRADE CONTROL

SUBJECT :—Import and distribution policy in respect of raw cashewnuts for 1982-83.

**File No. IPC/25/7/82-83.**—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1982—March 1983 (Volume-I) published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16-ITC(PN)/82 dated the 5th April, 1982.

2. Under the import policy for 1982-83, raw cashewnuts can be imported by Actual Users (Industrial), export houses/trading houses, and Cashew Corporation of India, in accordance with the provisions laid down.

3. The procedure for distribution of not less than 50 per cent of the raw cashewnuts imported which have to be offered by any of the importers for distribution through Cashew Corporation of India to eligible actual users will be as outlined in para 4 to para 13 of this Public Notice.

4. The eligible importer shall within seven days from the conclusion of import purchase, intimate in writing, to the Cashew Corporation of India Ltd., Cochin in the form prescribed by the Corporation, the details of purchase concluded by the importer even pending signing of a formal contract. The said intimation will be followed up within a fortnight from the conclusion of import purchase, by the original contract with a photostat copy for registration by the Cashew Corporation. The importer shall also remit by Demand Draft, registration charges to the Corporation calculated at 1/2 per cent of the C.I.F. value of the purchase, alongwith the intimation of import purchase.

5. The intimation referred to in para 4 above shall also clearly indicate the quantity of raw cashewnuts offered to the Corporation for distribution at prices referred to in para 7 below to eligible Actual Users, which will not in any

case be less than 50 per cent of the quantity proposed to be imported, and other terms of sale.

6. The Corporation will register the contract within seven days from the date of its receipt from the importer together with a letter of authority which will indicate the quantity to be cleared by the importer and the names of eligible Actual Users along with the quantity of raw cashewnuts to be given to each of them. The Customs Authorities will allow clearance of the goods on the strength of such letter of authority.

7. The Cashew Corporation of India shall, within seven days from the receipt of the intimation from the importer, offer the quantities to the eligible Actual Users. The eligible Actual Users are those processors who had participated in the import and export trade of cashewnuts and operated cashew processing factories in any of the calendar years 1968, 1969 and 1970 (upto 31-8-1970). An Actual User will cease to be eligible for allocation of the imported raw cashewnuts if he was not in export business for a continuous period of one year.

8. The Corporation shall allocate the quantities to the eligible Actual Users in respect of their eligible factories. The eligibility and the quantum will be determined by applying the following criteria :—

(i) Allocation will be made in respect of those factories declared by the Actual Users (Industrial) in the proforma filed with the Corporation and/or accepted by them after the date of canalisation.

(ii) Any factory which does not conform to the provisions of law relating to safety, conditions of service or fixation and payment of wages to the workmen will not be eligible for allotment of raw cashewnut from the Corporation.

(iii) The allocation in respect of each factory shall be determined by the Corporation on the basis of the labour strength ascertained from the Muster Roll maintained by the factory and varified by the Corporation.

(iv) The Corporation shall have the right to refix the initial allocation if the labour strength has come down based on returns from the factories and the verification carried out by the Corporation. With respect of those factories whose Muster Roll could not be verified by the Corporation during the inspection of factories, or where the Corporation considered it necessary to review the entitlement of any factory, the Corporation may make allocation on the basis of the labour strength determined on the basis of the lowest of the figure reported in the proforma at the time of canalisation of import of this item or the data sheet filed in 1971 with corroborative evidence, if necessary.

9. The eligible Actual Users shall advise the Corporation within seven day from the date of allocation by the Corporation, their acceptance or otherwise for the quantity offered. The letter of acceptance should be accompanied by an undertaking that they will open an internal letter of credit within seven days or such other extended time as may be specified by the importer concerned. The price at which the importer will offer to the eligible actual user through the Corporation the imported raw cashewnuts (for distribution to the eligible Actual Users) shall be at a price not exceeding the c.i.f. price as per the contract entered into by the importer plus 1 per cent thereof.

10. After receipt of acceptance from the eligible Actual Users, the Corporation will advise the importers about the details of such acceptance by eligible Actual Users.

11. If the quantities accepted by eligible Actual Users are less than the quantities offered to them, the shortfall in acceptance will be available to the credit of importer's share in the imports for which necessary amendment in the letter of authority will be issued by the CCI for customs clearance purposes.

12. The responsibility of the Cashew Corporation of India shall cease with the communication sent by them to the importer furnishing the details of acceptances by eligible Actual Users. All financial dealings shall be between the importer and the eligible Actual Users.

13. Any failure of the importer to deliver to the eligible Actual Users the quantity accepted by them shall be reported by the eligible Actual Users to the Cashew Corporation of India which, in turn, will bring it to the notice of the Chief Controller of Imports & Exports for such action as deemed fit by the Chief Controller of Imports and Exports.

14. In respect of the raw cashewnuts imported by the CCI on its own account the procedure for distribution of not less than 50 per cent of the quantity imported by it to the eligible Actual Users will be as outlined in para 7 to 11 above subject to the condition that the CCI will intimate in writing to the eligible Acual Users the quantities which it is offering to them within 7 day of the conclusion of the import purchase by it. The Customs Authorities will allow clearance of the goods on the strengh of such letter of Authority.

15. The CCI and Export Houses/Trading Houses, after offering not less than 50 per cent of the imported raw cashewnuts for distribution to eligible Actual Users, will be free to dispose of the balance quantity by sale to any actual users (Industrial). In the case of imports effected by Actual Users (Industrial) the quantity remaining at balance, after offering not less than 50 per cent to the CCI for distribution to eligible Actual Users, will be utilised by them under the provisions laid down in para 5(1), (2) and (3) of Volume I of the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982